

उपायुक्त-सह-जिला दण्डाधिकारी का न्यायालय, रामगढ़

आदेश पत्रक

भू-हदबंदी अपील वाद संख्या - 14/2021

रमेश कुमार सिंह वगै० बनाम् राज्य एवं कुलदीप सिंह

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख
------------------------------	---------------------------------	--

13.09.2022

आदेश

इस वाद की कार्रवाई अपीलार्थी रमेश कुमार सिंह पिता-महेश सिंह, निवास-ग्राम-के०बी० गेट कुजू, पो०-मुरपा, थाना-माण्डू, जिला-रामगढ़ वो० गीता देवी, पति-स्व० लिल मोहन सिंह, निवास ग्राम-सोणढ़, थाना-राजप्पा, जिला-रामगढ़ द्वारा भूमि सुधार उपसमाहर्ता, रामगढ़ के न्यायालय में दायर भू-हदबंदी वाद संख्या-01/2018-19 कुलदीप सिंह बनाम् गीता देवी वगै० में दिनांक-11.02.2021 को पारित आदेश के विरुद्ध U/S 30 of Bihar Land Reform (Fixation of Ceiling Area and Acquisition of Surplus) Act-1961 के तहत अपील वाद दायर पर प्रारंभ की गई। वाद को अंगीकृत करते हुए निम्न न्यायालय का अभिलेख प्राप्त किया गया एवं द्वितीय पक्ष को सूचना निर्गत किया गया। प्रश्नगत भूमि मौजा-सोणढ़, रजरप्पा थाना नं०-159 के खाता सं०-20 प्लॉट नं०-154 रकवा-0.42 ए० भूमि से संबंधित है।

उभय पक्षों के विज्ञ अधिवक्ताओं एवं सरकारी अधिवक्ता को सुना, उनके द्वारा समर्पित आवेदन कारण पृच्छा एवं निम्न न्यायालय का अभिलेख का अवलोकन किया।

उभय पक्षों के विज्ञ अधिवक्ताओं एवं सरकारी अधिवक्ता को सुनने, उनके द्वारा समर्पित आवेदन कारण पृच्छा एवं निम्न न्यायालय का अभिलेख का अवलोकन करने से स्पष्ट है कि मौजा-सोणढ़, रजरप्पा थाना नं०-159 के खाता सं०-20 प्लॉट नं०-154 रकवा-0.42 ए० भूमि सर्वे खतियान चिंता हजाम वल्द सुखु हजाम जाति हजाम साकिन-चितरपुर के

81

नाम से दर्ज है। खतियान में लगान पाने वाले के स्थान पर दिगंबर सिंह वगै० दर्ज है। अपीलार्थी का कहना है कि उक्त भूमि निबंधित केवाला संख्या-866/847, दिनांक-14.06.2018 द्वारा प्राप्त है। अपीलार्थी सं०-02 को वंशी हजाम, पिता-राधा हजाम से दो निबंधित केवाला संख्या-3883, दिनांक-05.02.1983 एवं केवाला संख्या-3139, दिनांक-05.11.1984 के द्वारा कुल रकवा-0.42 ए० भूमि क्रय किये है। वंशी हजाम खतियानी रैयत से प्रश्नगत भूमि क्रय किये है। इससे स्पष्ट होता है कि प्रश्नगत भूमि का अनेक बार हस्तांतरण हो चुका है। लेकिन विपक्षी कभी उक्त भूमि पर Pre-emption का दावा नहीं किया है। अपीलार्थी के द्वारा आगे कहा गया है कि प्रश्नगत भूमि का खतियान में किस्म टांड दर्ज है, जो कृषि योग्य भूमि नहीं है। BRL Act-1961 की धारा-16(3) सिर्फ कृषि योग्य भूमि पर ही लागु होता है। उन्होंने भूमि सुधार उप समाहर्ता, रामगढ़ द्वारा दिनांक-11.02.2021 को पारित आदेश को Set aside करने का अनुरोध किये है। विपक्षी क्रमांक-02 के विद्वान अधिवक्ता का कहना है कि विपक्षी क्रमांक-02 वास्तविक खतियानी रैयत है। मौजा-सोंढ़ के खाता सं०-20 विपक्षी एवं अपीलार्थी संख्या-02 के पति-वंशावली के सह-हिस्सेदार एवं एरीया रैयत के अंतर्गत आते है। अपीलार्थी संख्या-01 ना तो मौजा-सोंढ़ के खतियानी रैयत है और ना ही सह- हिस्सेदार है। विपक्षी को Pre-emption का पूर्ण अधिकार है। उन्होंने भूमि सुधार उप समाहर्ता, रामगढ़ द्वारा दिनांक-11.02.2021 को पारित आदेश को न्याय संगत बताते हुए अपील आवेदन अस्वीकृत करने का अनुरोध किये है।

भूमि सुधार उप समाहर्ता, रामगढ़ ने विपक्षी क्रमांक-02 को एरिया रैयत माना है एवं Bihar Land Reform (Fixation of Ceiling Area and Acquisition of Surplus) Act-1961 of U/S 16 (3) के तहत विपक्षी क्रमांक-02 का दावा अपीलार्थी के दावा से सबल माना है।

सरकारी अधिवक्ता के द्वारा भूमि सुधार उपसमाहर्ता, रामगढ़ के द्वारा दिनांक-11.02.2021 को पारित आदेश पर सहमति व्यक्त किया गया है।

उपर्युक्त तथ्यों के विवेचन एवं सरकारी अधिवक्ता के मंतव्य से स्पष्ट है कि Bihar Ceiling Act-1961 U/S 16(3){Fixation of Ceiling

Area and Acquisition at Surplus Land} के तहत विपक्षी क्रमांक-02 का प्रश्नगत भूमि पर Right of Pre-emption का दावा बनता है।

अतः उपरोक्त परिस्थिति में भूमि सुधार उपसमाहर्ता, रामगढ़ द्वारा भू-हदबंदी वाद सं०-01/2018-19 कुलदीप सिंह बनाम् गीता देवी वगै० में दिनांक-11.02.2021 को Bihar Ceiling Act-1961 U/S 16(3){Fixation of Ceiling Area and Acquisition at Surplus Land} के तहत पारित आदेश को यथावत् रखा जाता है एवं अपील आवेदन अस्वीकृत किया जाता है। निम्न न्यायालय का अभिलेख एवं आदेश की प्रति भूमि सुधार उपसमाहर्ता, रामगढ़ को वापस करें।

उपरोक्त आदेश के साथ इस वाद की कार्यवाही समाप्त की जाती है।

संचित करें।

लेखापित एवं संशोधित

शाधवी शिखा
13.9.2022
उपायुक्त,
रामगढ़।

शाधवी शिखा
13.9.2022
उपायुक्त,
रामगढ़।